भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *147

जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत तमिलनाडु में खोले गए खाते

*147. श्री मलैयारासन डी.:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत तमिलनाडु में अब तक कितने खाते खोले गए और इन खातों में कुल कितनी राशि जमा की गई;

(ख) सरकार द्वारा तमिलनाडु तथा कल्लाकुरिची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण और अल्प-सेवित क्षेत्रों में विशेष रूप से वित्तीय समावेशन और डिजिटल बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए पीएमजेडीवाई के कार्यान्वयन को बेहतर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु में बैंक की सुविधा से वंचित आबादी को यह सुविधा प्रदान करने में आ रही किन्हीं विशिष्ट चुनौतियों की पहचान की है और यदि हां, तो इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए क्या उपाय लागू किए जा रहे हैं;

(घ) तमिलनाडु में पीएमजेडीवाई लाभार्थियों को कितने रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं तथा डिजिटल लेन-देन और वित्तीय सशक्तिकरण के लिए इन कार्डों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ड.) तमिलनाडु में कितने पीएमजेडीवाई खाते प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) संबंधी योजनाओं से जुड़े हुए हैं और राज्य में कल्याणकारी कार्य पर पीएमजेडीवाई का समग्र प्रभाव क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत तमिलनाडु में खोले गए खाते" के संबंध में श्री मलैयारासन डी. द्वारा पूछे गए दिनांक 10.3.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *147 के भाग (क) से (ङ) तक के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ड.): दिनांक 19.2.2025 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में कल्लाकुरिची तथा सेलम जिलों सहित कल्लाकुरिची संसदीय क्षेत्र के साथ ही देश में जनधन खातों की संख्या, इन खातों में जमा शेषराशि तथा जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

	पीएमजेडीवाई खाते (लाख में)	पीएमजेडीवाई खातों में जमा राशि (करोड में)	पीएमजेडीवाई खाताधारकों को जारी किए गए रुपे कार्ड (लाख में)
कल्लाकुरिची जिला	2.7	67.55	1.58
सेलम जिला	10.13	248.82	7.02
तमिलनाडु	169.57	5,669.50	122.69
देश	**5,490.65**	**2,49,410.41**	**3,753.41**

सरकार की वित्तीय समावेशन संबंधी पहलों को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) को और अधिक आकर्षक बनाकर निम्नलिखित संशोधनों के साथ दिनांक 14-08-2018 से आगे बढ़या गया था:-

(i) मौजूदा ओडी सीमा को संशोधित करते हुए इसे 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है।

(ii) ओडी सुविधा प्राप्त करने की आयु सीमा को संशोधित कर 18 से 60 वर्ष के स्थान पर 18 से 65 वर्ष कर दिया गया है।

(iii) दिनांक 28.8.2018 के बाद खोले गए नए पीएमजेडीवाई खातों के नए रुपे कार्डधारकों के लिए दुर्घटना बीमा कवर को मौजूदा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है।

(iv) 'प्रति परिवार' के स्थान पर अब केन्द्र में 'प्रति बैंकरहित व्यस्क' को रखा गया है।

पीएमजेडीवाई के क्रियान्वयन में सुधार के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पीएमजेडीवाई के संवर्धन के लिए मूलभूत स्तर पर नियमित जागरूकता शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, इस योजना के क्रियान्वयन और प्रभावशीलता की नियमित रूप से निगरानी करने के लिए बैंकों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ एक समीक्षा तंत्र स्थापित किया गया है।

सरकार का यह प्रयास है कि देश में आबादी वाले सभी गांवों के 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग आउटलेट (बैंक शाखा/व्यवसाय प्रतिनिधि/इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक) की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बैंकिंग आउटलेट की उपलब्धता की निगरानी भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित ऐप अर्थात जन धन दर्शक (जेडीडी) ऐप के माध्यम से की जाती है। जेडीडी ऐप पर बैंकों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर देश में आबादी वाले कुल 6,01,328 गांवों में से 6,00,750 (99.90%) गांवों को 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर बैंकिंग आउटलेट (बैंक शाखा/बीसी/आईपीपीबी) से कवर किया गया है। जबकि दिनांक 31.1.2025 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य के आबादी वाले कुल 15425 गांवों में से 15424 (99.99%) गांवों को बैंकिंग आउटलेट से कवर किया गया है। तथापि तमिलनाडु में कल्लाकुरिची तथा सेलम जिलों सहित कल्लाकुरिची संसदीय क्षेत्र के सभी गांवों को 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर बैंकिंग आउटलेट (बैंक शाखा/बीसी/आईपीपीबी) से कवर किया गया है।

बैंक रुपे डेबिट कार्ड के उपयोग पर उपलब्ध लाभ, रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग कर आहरण करने पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) तथा नकदी लेनदेन के बदले सुरक्षित डिजिटल भुगतान के बारे में ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए गांवों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन करते हैं। व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) को माइक्रो एटीएम पर रुपे डेबिट कार्डों का उपयोग करने में ग्राहकों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, बैंक नियमित रूप से एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से ग्राहकों को प्रोत्साहित करते रहते हैं कि वे प्वाइंट आफ सेल (पीओएस) तथा ई-कॉमर्स चैनलों पर अपने रुपे डेबिट कार्ड का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें।

डीबीटी योजनाओं से संबद्ध पीएमजेडीवाई खातों की संख्या के संबंध में आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, पीएमजेडीवाई दिशानिर्देशों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को सरकार से लाभार्थी के जन धन खातों में अंतरित करने की परिकल्पना की गई है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से लाभ अंतरित किए जा रहे हैं जिनमें पीएमजेडीवाई खाते भी शामिल हैं।

*****